के.रि.पु.बल परिवार कल्याण संघ, केरिपुबल, ब्लॉक नं0 1, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली– 110003.

संख्या– डब्ल्यू. पॉच – 34/2020–21–सीडब्ल्यूए दिनांक 18 मार्च, 2020

जेएसडब्ल्यू परियोजना

(JSW Scheme)

के.रि.पु.बल में जेएसडब्ल्यू कंपनी के सहयोग से देश के विभिन्न केंद्रों पर एपटेक कंपनी द्वारा सौंदर्य और स्वास्थ्य, मीडिया और मनोरंजन, कंप्यूटर शिक्षा, हार्डवेयर और नेटवर्किंग जैसे रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम में के.रि.पु.बल के शहीदों/मृतकों के निकटतम परिजन एवं बच्चों को निःशुल्क शामिल होने का अवसर प्रदान करता है। सेवारत कर्मियों के परिवारों और बच्चों को भी इन पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए निःशुल्क लाभ मिल सकता है, यदि इन पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए पर्याप्त संख्या में शहीदों/मृतकों के निकटतम परिजन और बच्चे उपलब्ध नहीं होते हैं। इन पाठ्यक्रमों में शहीदों/मृतकों के निकटतम परिजन को निःशुल्क रूप से भाग लेने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

2. उपरोक्त के अलावा जेएसडब्ल्यू कंपनी द्वारा प्रदान की गई धनराशि का उपयोग बल के शहीदों/मृतकों और सेवारत कार्मिकों के निकटतम परिजनों एवं परिवार के सदस्यों को उषा इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा संचालित किए जाने वाले सिलाई पाठ्यक्रम के लिए किया जाएगा। इस संबंध में 27/09/2019 को के.रि.पु.बल परिवार कल्याण संघ और उषा इंटरनेशनल लिमिटेड के बीच एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं और इसके कार्यान्वयन की तिथि 20 जनवरी, 2020 है।

3. के.रि.पु.बल परिवार कल्याण संघ (सीडब्ल्यूए) ''सार्थक सहयोग सर्वदा'' के आदर्श वाक्य के साथ एक पंजीकृत गैर सरकारी संगठन है जो शहीदों और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मियों के परिवारों की देखभाल के लिए प्रतिबद्ध है, जो दूर के स्थानों और दुर्गम क्षेत्रों, जैसे–जम्मू–कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र, उत्तर पूर्व आदि में तैनात होकर देश की सेवा करने हेतु घर से दूर हैं। सीडब्ल्यूए का उद्देश्य के.रि.पु.बल कर्मियों के परिवारों का उत्थान और सहायता करना और उनकी समस्याओं को कम करना है। इसलिए, जेएसडब्ल्यू की विभिन्न कंपनियों द्वारा के.रि.पु.बल परिवार कल्याण संघ (सीडब्ल्यूए) के खाते में कुल रू0 4,99,15,860.06 (चार करोड़ निन्यानबे लाख पंद्रह हजार आठ सौ साठ एवं छः पैसे) आवश्यकता अनुसार आगे संवितरण के लिए प्रेषित किए गए हैं।

4. केवल जेएसडब्ल्यू कंपनी से प्राप्त निधि में से रू0 4,50,00,000/– (रूपये चार करोड़ पच्चास लाख) मात्र का एक कोष दिनांक – 20/07/2019 को एक राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा के रूप में रखा गया है। शेष राशि रू0 49,15,860.06 (उनचास लाख पंद्रह हजार आठ सौ साठ एवं छः पैसे) का उपयोग एपटेक कंपनी और उषा इंटरनेशनल लिमिटेड के पाठ्यक्रम शुल्क के वित्तपोषण के लिए अन्य शुल्कों के साथ–साथ सिलाई पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए किया जा रहा है, जिसमें शहीदों/मृतकों के निकटतम परिजन और सेवारत कर्मी के परिवार के बच्चे वर्ष 2019–20 में भाग लेंगे।

5. इस कोष से प्राप्त होने वाले वार्षिक ब्याज का उपयोग उन पाठ्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा, जिनमें शहीदों/मृतकों के निकटतम परिजन और सेवारत कर्मी के परिवार के बच्चे अगले वर्ष से उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में भाग लेंगे।

6. सीडब्ल्यूए की पुस्तिका के पैरा –3 (सी) और (ई) में उल्लिखित लक्ष्य और उद्देश्य के.रि.पु.बल के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवारों के लिए ''शैक्षणिक/व्यावसायिक कौशल के विकास, प्रशिक्षण की सुविधा के लिए कार्यक्रमों को जारी रखना और के.रि.पु.बल परिवारों के कल्याण को प्रभावित करने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन जुटाना।'' अतः इस योजना को लागू करने के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित जारी किया जाता है :–

i) <u>नाम</u> :–

ए) इस योजना को ''जेएसडब्ल्यू प्रोजेक्ट'' कहा जाएगा।

ii) <u>योजना का उद्देश्य</u> :–

ए) के.रि.पु.बल के शहीदों/मृतक कर्मियों के निकटतम संबंधियों एवं बच्चों के लिए एप्टेक कंपनी द्वारा आयोजित सौंदर्य और स्वास्थ्य, मीडिया और मनोरंजन, कंप्यूटर शिक्षा, हार्डवेयर और नेटवर्किंग पाठ्यक्रमों जैसे विभिन्न रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रमों के शुल्क का वित्तपोषण। सेवारत कर्मियों के परिवारों और बच्चों को भी इन पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए निःशुल्क लाभ मिल सकता है, यदि इन पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए पर्याप्त संख्या में शहीदों/मृतकों के निकटतम परिजन और बच्चे उपलब्ध नहीं होते हैं। इन पाठ्यक्रमों में शहीदों/मृतकों के निकटतम संबंधियों को निःशुल्क भाग लेने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

बी) के.रि.पु.बल परिवार कल्याण संस्था और उषा इंटरनेशनल लिमिटेड के बीच दिनांक 27/09/2019 को हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार वित्त पोषण और इसकी कार्यान्वयन तिथि 20 जनवरी 2020 है। उषा इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा संचालित सिलाई पाठ्यक्रम बल के शहीदों/मृतक और सेवारत कार्मिकों के निकटतम संबंधियों एवं परिवार के सदस्यों के लिए होगा।

iii) <u>निधि निर्माण</u> :–

ए) रू0 4,50,00,000/– (रूपये चार करोड़ पच्चास लाख) मात्र एक राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा है और इसके अर्जित ब्याज का ही उपयोग होगा। निधि का उपयोग करते समय यह सुनिश्चित किया जाना है कि रू0 4,50,00,000/– का कोष अपरिवर्तित रहे और इससे प्राप्त ब्याज का उपयोग परियोजना के उद्देश्यों के अनुसार किया जाएगा।

iv) <u>अभिलेखों का रखरखाव</u> :–

ए) निधि सीडब्ल्यूए के खाते में रहेगी और सीडब्ल्यूए की मौजूदा रोकड़ बही के माध्यम से रख–रखाव किया जाएगा और इसके उचित लेखांकन के लिए सीडब्ल्यूए की ''जेएसडब्ल्यू प्रोजेक्ट'' योजना के नाम पर अलग पंजिका बनायी जाएगी।

v) पात्रता :–

ए) योजना, निधि की उपलब्धता के अनुसार और ''पहले आओ पहले पाओ'' के आधार पर काम करेगा।

बी) कोई अन्य खर्च, यदि उचित समझा जाए, जेएसडब्ल्यू कंपनी और सीडब्ल्यूए के शासी निकाय और सीईसी के अनुमोदन के साथ किया जाएगा।

सी) ग्रुप केन्द्र/संस्थान, जो कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, परिसर के प्रत्येक कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करेगा, ताकि अधिक से अधिक बल कर्मियों और उनके परिवारों को लाभ मिल सके।

vi) आवेदन कैसे करें :–

ए) सेक्टर/ग्रुप केन्द्र/संस्थान इस परियोजना के तहत् निधि जारी करने के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव सभी विवरणों के साथ इस निदेशालय को अग्रेषित करेंगे।

बी) निदेशालय, के.रि.पु.बल के सक्षम प्राधिकारी निधि जारी करने के लिए मामले को सीडब्ल्यूए को भेजेंगे।

vii) प्रबंध समिति को शक्तियॉ :–

ए) सीडब्ल्यूए का शासी निकाय सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर मामले पर निर्णय करेगा ताकि समय सीमा के भीतर निधि वितरित किया जा सके और पाठ्यक्रम नियमित रूप से संचालित किए जा सकें। नियम में संशोधन करने की शक्ति अध्यक्ष, सीडब्ल्यूए की अनुमोदन के साथ सीडब्ल्यूए की शासी परिषद् के पास रहेंगे।

निधि के लिए शासी निकाय की संरचना :–

क्रम सं0	पदनाम	संरचना
1.	अध्यक्ष, सीडब्ल्यूए	महानिदेशक, के.रि.पु.बल की पत्नी।
2.	उपाध्यक्ष	निदेशालय के वरिष्ठतम् विशेष महानिदेशक/अपर महानिदेशक (मुख्यालय) की पत्नी।
3.	मानद कोषाध्यक्ष	निदेशालय के किसी अधिकारी की चयनित महिला पत्नी।
4.	सचिव	उप महानिरीक्षक(कल्याण)
5.	मानद सचिव	निदेशालय के किसी अधिकारी की चयनित महिला पत्नी।
6.	संयुक्त सचिव	निदेशालय के उप कमांडेंट (कल्याण–दो)

viii) निधि का वितरण :–

ए) के.रि.पु.बल/संस्थान की मांग के अनुसार खाते में राशि का वितरण किया जाएगा।

7. तदनुसार, सभी संबंधितों से अनुरोध है कि इन आदेशों का पालन करें।

हस्ता0 18/03/2020
(राजीव रंजन कुमार)
उप महानिरीक्षक(कल्याण) सह सचिव सीडब्ल्यूए

संख्या– डब्ल्यू. पॉच – 34/2020–21–सीडब्ल्यूए (सेलो द्वारा) दिनांक – मार्च, 2020

प्रतिलिपि प्रेषित है :–

1. विशेष महानिदेशक, जम्मू व कश्मीर अंचल, जम्मू, मध्य अंचल कोलकाता, उत्तर पूर्व अंचल, गुवाहाटी एवं दक्षिण अंचल, केरिपुबल, हैदराबाद।
2. महानिरीक्षक –पश्चिमोत्तर सेक्टर/दक्षिणी सेक्टर/मध्य प्रदेश सेक्टर/ पश्चिमी सेक्टर/पूर्वी सेक्टर/बिहार सेक्टर/उत्तरी सेक्टर/उत्तर पूर्व सेक्टर/कोबरा सेक्टर/मध्य सेक्टर/मणिपुर एवं नागालैंड सेक्टर/श्रीनगर सेक्टर/जम्मू सेक्टर/ त्रिपुरा सेक्टर/द्रु.का.बल सेक्टर/राजस्थान सेक्टर/पश्चिम बंगाल सेक्टर/ओड़िसा सेक्टर/झारखंड सेक्टर/छत्तीसगढ़ सेक्टर/ऑप्स कश्मीर सेक्टर/ऑप्स जोरहाट सेक्टर, के.रि.पु.बल।
3. महानिरीक्षक/प्राचार्य, आंतरिक सुरक्षा अकादमी, माउंट आबू/ केरिपुबल अकादमी, कादरपुर, के.रि.पु.बल।
4. सभी संयुक्त अस्पतालों के महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, केरिपुबल।
5. सभी ऑप्स/सिगनल/प्रशिक्षण संस्थान/पीडीजी सहित सभी रेंजों के उप महानिरीक्षक, केरिपुबल।
6. सभी ग्रुप केन्द्रों/के.ह.भंडारों के उप महानिरीक्षक, केरिपुबल।
7. सिग्नल/द्रु.का.बल/कोबरा/एसडीजी/पीडीजी बटा0 के कमांडेंट सहित सभी बटालियनों के कमांडेंट, केरिपुबल।

हस्ता0 18/03/2020
(राजीव रंजन कुमार)
उप महानिरीक्षक(कल्याण) सह सचिव सीडब्ल्यूए

आंतरिक :–

महानिदेशक के स्टॉफ अधिकारी एवं वरिष्ठ निजी सचिव।
विशेष महानिदेशक (प्रशिक्षण/ निर्माण) के वरिष्ठ निजी सचिव।
अपर महानिदेशक (मुख्यालय/कार्मिक/ऑप्स/चिकित्सा) के उप कमा0/सहा0 कमा0 व्यक्तिक सचिव।
महानिरीक्षक–(प्रशा0/कार्मिक/संचार/निर्माण/ऑप्स/ आसूचना/ संभरण/प्रशिक्षण/स्थापना / निदेशक(चिकित्सा)/ वित्तीय सलाहकार) के व्यक्तिक सचिव।
उप महानिरीक्षक (प्रशा0/कल्याण/निर्माण/विधि/ऑप्स–1/2/कार्मिक/गोप0 एवं सतर्कता/स्थापना/संगठन/भर्ती/प्रशिक्षण–1/2 /तकनीकी/आई.टी. /उपकरण/संचार/संभरण/मोटर परिवहन एवं आयुध/आसूचना/ सीएसओ/सीपीसी उप वित्तीय सलाहकार)

कमांडेंट (कल्याण/स्पेशल सेल/विधि/स्थापना/ऑप्स–1 एवं 2/
/आसूचना/संभरण/पीओएल/वीआईपी सुरक्षा/आर्किटेक्ट) सहा0 निदेशक (लेखा)
महानिदेशालय के सभी शाखाओं को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु।